"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 5] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 3 फरवरी 2023—माघ 14, शक 1944

विषय—सूची

भाग 1.—(1) राज्य शासन के आदेश, (2) विभाग प्रमुखों के आदेश, (3) उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं, (4) राज्य शासन के संकल्प, (5) भारत शासन के आदेश और अधिसूचनाएं, (6) निर्वाचन आयोग, भारत की अधिसूचनाएं, (7) लोक-भाषा परिशिष्ट.

भाग 2.—स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं.

भाग 3.—(1) विज्ञापन और विविध सूचनाएं, (2) सांख्यिकीय सूचनाएं.

भाग 4.—(क) (1) छत्तीसगढ़ विधेयक, (2) प्रवर समिति के प्रतिवेदन, (3) संसद में पुरःस्थापित विधेयक, (ख) (1) अध्यादेश, (2) छत्तीसगढ़ अधिनियम, (3) संसद् के अधिनियम, (ग) (1) प्रारूप नियम, (2) अंतिम नियम.

भाग १

राज्य शासन के आदेश

सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर

नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक 9 जनवरी 2023

क्रमांक ई 1-01/2023/एक-2.—राज्य शासन एतद्द्वारा श्री सत्यनारायण राठौर, भा.प्र.से. (2008), पंजीयक, फर्म्स एवं संस्थायें तथा अतिरिक्त प्रभार प्रबंध संचालक, वेयरहाउसिंग कार्पोरेशन लिमिटेड, रायपुर, संचालक, स्थानीय निधि संपरीक्षा को केवल प्रबंध संचालक, वेयरहाउसिंग कार्पोरेशन लिमिटेड, रायपुर के अतिरिक्त प्रभार से मुक्त करते हुए आयुक्त, छ.ग. गृह निर्माण मंडल का अतिरिक्त प्रभार सौंपता है. शेष प्रभार यथावत् रहेगा.

2. श्री धर्मेश कुमार साहू, भा.प्र.से (2010), आयुक्त, छ.ग. गृह निर्माण मंडल तथा अतिरिक्त प्रभार मुख्य कार्यपालन अधिकारी, रायपुर विकास प्राधिकरण को अस्थायी रूप से आगामी आदेश पर्यन्त प्रबंध संचालक, वेयरहाउसिंग कार्पोरेशन लिमिटेड, रायपुर के पद पर पदस्थ करते हुए मुख्य कार्यपालन अधिकारी, रायपुर विकास प्राधिकरण का अतिरिक्त प्रभार सौंपता है.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2023.

श्री धर्मेश कुमार साहू द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से राज्य शासन, भारतीय प्रशासनिक सेवा (वेतन) नियम, 2016 के नियम-12 के तहत् के प्रबंध संचालक, वेयरहाउसिंग कार्पोरेशन लिमिटेड, रायपुर के असंवर्गीय पद को प्रतिष्ठा एवं जिम्मेदारी में भारतीय प्रशासनिक सेवा के कनिष्ठ प्रशासनिक वेतनमान के संवर्गीय पद के समकक्ष घोषित करता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
कमलप्रीत सिंह, सचिव.

नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक 26 दिसम्बर 2022

शुद्धि-पत्र

क्रमांक एफ 9-19/2022/1/5.—विभागीय समसंख्यक दिनांक 18-04-2022 को जारी अधिसूचना के कंडिका-2 में धारा 24 उपधारा 01 अंकित है जिसे धारा 27 उपधारा 01 पढ़ा जावे.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अंशिका ऋषि पाण्डेय, अवर सचिव.

वाणिज्यिक कर विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर

नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक 30 दिसम्बर 2022

क्रमांक एफ 6-17/2022/वाक/पांच.—राज्य शासन एतद्द्वारा विभागीय पदोन्नति समिति की अनुशंसा के आधार पर, वाणिज्यिक कर विभाग के निम्नलिखित अधिकारियों को राज्य कर संयुक्त आयुक्त से राज्य कर अपर आयुक्त के पद पर, पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स के लेवल 15 (वेतन बैंड रुपये 37400-67000 + ग्रेड वेतन रुपये 8700) में कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से, पदोन्नत करते हुए उन्हें, नीचे दर्शित तालिका में उनके नाम के समक्ष कॉलम-4 में दर्शाये स्थान पर अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक पदस्थ करता है :—

क्र. (1)	राज्य कर संयुक्त आयुक्त का नाम (2)	वर्तमान पदस्थापना (3)	पदोन्नति उपरांत नवीन पदस्थाना (4)
1.	श्रीमती नीलिमा तिग्गा	राज्य कर संयुक्त आयुक्त, रायपुर संभाग क्रमांक-दो, रायपुर	राज्य कर अपर आयुक्त, मुख्यालय, नवा रायपुर.
2.	श्री एच. एल. हिड़को	राज्य कर संयुक्त आयुक्त, दुर्ग संभाग	राज्य कर अपर आयुक्त, मुख्यालय, नवा रायपुर.
3.	श्री टी. आर. धुर्वे	राज्य कर मुख्यालय, नवा रायपुर	राज्य कर अपर आयुक्त, मुख्यालय, नवा रायपुर.

2. उक्त आदेश माननीय छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय बिलासपुर में दायर याचिका W.P.(S) No. 9778/2019 Vishnu Prasanna Tiwari Vs. State of Chhattisgarh & another एवं W.P.(PIL) No. 91/2019 S. Santosh Kumar Vs. State of Chhattisgarh & another में पारित अंतिम आदेश के अध्याधीन होगा.

3. उपरोक्त अधिकारियों की वरिष्ठता मूल संवर्ग में वरिष्ठता क्रम अनुसार ही रहेगी.

नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक 30 दिसम्बर 2022

क्रमांक एफ 6-18/2022/वाक/पांच.—राज्य शासन एतद्द्वारा विभागीय पदोन्नति समिति की अनुशंसा के आधार पर, वाणिज्यिक कर विभाग के निम्नलिखित अधिकारियों को राज्य कर उपायुक्त से राज्य कर संयुक्त आयुक्त के पद पर, पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स के लेवल 14 (वेतन बैंड रुपये 15600-39100 + ग्रेड वेतन रुपये 7600) में कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से, पदोन्नत करते हुए, उन्हें नीचे दर्शित तालिका में उनके नाम के समक्ष कॉलम-4 में दर्शाये स्थान पर अस्थाई रूप से, आगामी आदेश तक पदस्थ करता है :—

क्र.	राज्य कर उपायुक्त का नाम	वर्तमान पदस्थापना	पदोन्नति उपरांत नवीन पदस्थाना
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	श्री छतराम महिलांगे	कार्यालय राज्य कर आयुक्त, मुख्यालय, नवा रायपुर.	कार्यालय राज्य कर संयुक्त आयुक्त, रायपुर संभाग क्रमांक-दो.
2.	श्री अजय देवांगन	राज्य कर उपायुक्त, राजनांदगांव	कार्यालय राज्य कर संयुक्त आयुक्त (प्रवर्तन) बिलासपुर.
3.	श्रीमती भावना अली	सचिव, छत्तीसगढ़ वाणिज्यिक कर अधिकरण नवा रायपुर.	कार्यालय राज्य कर संयुक्त आयुक्त, दुर्ग संभाग.
4.	श्रीमती गुलापा पुरसेठ	कार्यालय राज्य कर संयुक्त आयुक्त, रायपुर संभाग क्रमांक-दो.	कार्यालय राज्य कर आयुक्त, मुख्यालय, नवा रायपुर.

2. उक्त आदेश माननीय छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय बिलासपुर में दायर याचिका W.P.(S) No. 9778/2019 Vishnu Prasanna Tiwari Vs. State of Chhattisgarh & another एवं W.P.(PIL) No. 91/2019 S. Santosh Kumar Vs. State of Chhattisgarh & another में पारित अंतिम आदेश के अध्याधीन होगा.

3. उपरोक्त अधिकारियों की वरिष्ठता मूल संवर्ग में वरिष्ठता क्रम अनुसार ही रहेगी.

नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक 30 दिसम्बर 2022

क्रमांक एफ 6-26/2022/वाक./पांच.—राज्य शासन एतद्द्वारा विभागीय पदोन्नति समिति की अनुशंसा के आधार पर, वाणिज्यिक कर विभाग के निम्नलिखित अधिकारियों को राज्य कर अधिकारी से राज्य कर सहायक आयुक्त के पद पर, पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स के लेवल 12 (वेतन बैंड रुपये 15600-39100 + ग्रेड वेतन रुपये 5400) में कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से, पदोन्नत करते हुए, उन्हें नीचे दर्शित तालिका में उनके नाम के समक्ष कॉलम-4 में दर्शाये स्थान पर अस्थाई रूप से, आगामी आदेश तक पदस्थ करता है :—

क्र.	अधिकारी का नाम	वर्तमान पदस्थापना	पदोन्नति उपरांत नवीन पदस्थाना
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	श्री प्रशांत कुमार कोमिया	कार्यालय राज्य कर सहायक आयुक्त, दुर्ग वृत्त-दो.	कार्यालय राज्य कर सहायक आयुक्त, रायगढ़ वृत्त-एक.
2.	श्रीमती उषाकिरण एक्का	कार्यालय राज्य कर सहायक आयुक्त, रायपुर वृत्त-दो.	कार्यालय राज्य कर सहायक आयुक्त, रायपुर, वृत्त-तीन.
3.	श्रीमती सिसिलिया कुजूर	कार्यालय राज्य कर सहायक आयुक्त, रायपुर वृत्त-तीन.	कार्यालय राज्य कर सहायक आयुक्त, रायपुर वृत्त-दो.

(1)	(2)	(3)	(4)
4.	कु. कांति पिस्दा	कार्यालय राज्य कर सहायक आयुक्त, दुर्ग वृत्त-तीन.	कार्यालय राज्य कर सहायक आयुक्त, दुर्ग वृत्त-एक.

2. उक्त आदेश माननीय छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय बिलासपुर में दायर याचिका W.P.(S) No. 9778/2019 Vishnu Prasanna Tiwari Vs. State of Chhattisgarh & another एवं W.P.(PIL) No. 91/2019 S. Santosh Kumar Vs. State of Chhattisgarh & another में पारित अंतिम आदेश के अध्याधीन होगा.

3. उपरोक्त अधिकारियों की वरिष्ठता मूल संवर्ग में वरिष्ठता क्रम अनुसार ही रहेगी.

नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक 30 दिसम्बर 2022

क्रमांक एफ 6-28/2022/वाक./पांच.—राज्य शासन एतद्द्वारा विभागीय पदोन्नति समिति की अनुशंसा के आधार पर, वाणिज्यिक कर विभाग के निम्नलिखित निरीक्षकों को राज्य कर निरीक्षक से राज्य कर अधिकारी के पद पर, पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स के लेवल 09 (वेतन बैंड रुपये 9300-34800 + ग्रेड वेतन रुपये 4300) में कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से, पदोन्नत करते हुए, उन्हें नीचे दर्शित तालिका में उनके नाम के समक्ष कॉलम-4 में दर्शाये स्थान पर अस्थाई रूप से, आगामी आदेश तक पदस्थ करता है :—

क्र. (1)	राज्य कर निरीक्षक का नाम (2)	वर्तमान पदस्थापना (3)	पदोन्नति उपरांत नवीन पदस्थाना (4)
1.	श्रीमती सुनीता सोनी	कार्यालय राज्य कर सहायक आयुक्त, रायपुर वृत्त-पांच, रायपुर.	कार्यालय राज्य कर सहायक आयुक्त, रायपुर वृत्त-सात.
2.	श्री अभय यादव	कार्यालय राज्य कर सहायक आयुक्त, रायपुर वृत्त-नौ, रायपुर.	कार्यालय राज्य कर सहायक आयुक्त, रायपुर, वृत्त-दो.
3.	श्री संतोष कुमार कश्यप	कार्यालय राज्य कर सहायक आयुक्त, राजनांदगांव वृत्त.	कार्यालय राज्य कर सहायक आयुक्त, बिलासपुर वृत्त-दो.
4.	श्री राकेश कुमार अरोरा	कार्यालय राज्य कर सहायक आयुक्त, रायपुर वृत्त-चार, रायपुर.	कार्यालय राज्य कर सहायक आयुक्त, रायपुर वृत्त-नौ.
5.	सुश्री निधि वर्मा	कार्यालय राज्य कर सहायक आयुक्त, बिलासपुर वृत्त-एक, बिलासपुर.	कार्यालय राज्य कर सहायक आयुक्त, बिलासपुर वृत्त-दो.

2. उक्त आदेश माननीय छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय बिलासपुर में दायर याचिका W.P.(S) No. 9778/2019 Vishnu Prasanna Tiwari Vs. State of Chhattisgarh & another एवं W.P.(PIL) No. 91/2019 S. Santosh Kumar Vs. State of Chhattisgarh & another में पारित अंतिम आदेश के अध्याधीन होगा.

3. उपरोक्त राज्य कर निरीक्षकों की वरिष्ठता मूल संवर्ग में वरिष्ठता क्रम अनुसार ही रहेगी.

नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक 30 दिसम्बर 2022

क्रमांक एफ 6-58/2022/वाक./पांच.—राज्य शासन एतद्द्वारा विभागीय पदोन्नति समिति की अनुशंसा के आधार पर, वाणिज्यिक कर विभाग के निम्नलिखित अधिकारियों को राज्य कर सहायक आयुक्त से राज्य कर उपायुक्त के पद पर, पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स के लेवल 13 (वेतन बैंड रुपये 15600-39100 + ग्रेड वेतन रुपये 6600) में कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से, पदोन्नत करते हुए, उन्हें नीचे दर्शित तालिका में उनके नाम के समक्ष कॉलम-4 में दर्शाये स्थान पर अस्थाई रूप से, आगामी आदेश तक पदस्थ करता है :—

क्र. (1)	राज्य कर सहायक आयुक्त का नाम (2)	वर्तमान पदस्थापना (3)	पदोन्नति उपरांत नवीन पदस्थाना (4)
1.	श्री ओंकार यादव	कार्यालय राज्य कर सहायक आयुक्त, बिलासपुर वृत्त-दो, बिलासपुर.	कार्यालय राज्य कर आयुक्त, मुख्यालय, नवा रायपुर तथा सचिव, छत्तीसगढ, वाणिज्यिक कर अधिकरण, नवा रायपुर का अतिरिक्त प्रभार.
2.	कु. सुषमा बड़ा	कार्यालय राज्य कर सहायक आयुक्त, रायपुर वृत्त-चार, रायपुर.	कार्यालय राज्य कर आयुक्त, रायपुर संभाग क्रमांक-दो, रायपुर.
3.	कु. रीता बड़ा	कार्यालय राज्य कर सहायक आयुक्त, रायपुर वृत्त-दो, रायपुर.	कार्यालय राज्य कर संयुक्त आयुक्त, रायपुर संभाग क्रमांक-एक, रायपुर.

2. उक्त आदेश माननीय छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय बिलासपुर में दायर याचिका W.P.(S) No. 9778/2019 Vishnu Prasanna Tiwari Vs. State of Chhattisgarh & another एवं W.P.(PIL) No. 91/2019 S. Santosh Kumar Vs. State of Chhattisgarh & another में पारित अंतिम आदेश के अध्याधीन होगा.

3. उपरोक्त अधिकारियों की वरिष्ठता मूल संवर्ग में वरिष्ठता क्रम अनुसार ही रहेगी.

नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक 30 दिसम्बर 2022

क्रमांक एफ 6-72/2022/वाक./पांच.—राज्य शासन एतद्द्वारा विभागीय पदोन्नति समिति की अनुशंसा के आधार पर, वाणिज्यिक कर विभाग में पदस्थ श्री तोरन लाल ध्रुव, राज्य कर अपर आयुक्त को, राज्य कर विशेष आयुक्त के पद पर, (वेतन बैंड रुपये 37400-67000 + ग्रेड वेतन रुपये 8900) पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स के लेवल 16 में कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से, पदोन्नत करते हुए उन्हें, राज्य कर विशेष आयुक्त, बिलासपुर के पद पर अस्थाई रूप से आगामी आदेश तक पदस्थ करता है.

2. उक्त आदेश माननीय छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय बिलासपुर में दायर याचिका W.P.(S) No. 9778/2019 Vishnu Prasanna Tiwari Vs. State of Chhattisgarh & another एवं W.P.(PIL) No. 91/2019 S. Santosh Kumar Vs. State of Chhattisgarh & another में पारित अंतिम आदेश के अध्याधीन होगा.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
मनोज कुमार मिश्रा, अवर सचिव.

गृह (पुलिस) विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर

नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक 30 दिसम्बर 2022

क्रमांक एफ 03-05/2022/दो-गृह/भापुसे.—राज्य शासन एतद्द्वारा, श्रीमती भावना गुप्ता, भा.पु.से. (2014) को आबंटन वर्ष से 04 वर्ष की सेवा पूर्ण कर लेने के फलस्वरूप भारतीय पुलिस सेवा (वेतन) नियमावली, 2016 के उपनियम-3 में निहित प्रावधान के तहत छत्तीसगढ़ राज्य में कार्यभार ग्रहण दिनांक 29-07-2020 से सेवा का वरिष्ठ समयबद्ध वेतनमान राशि रु. 67,700-2,08,700/- प्रदान करता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अभिजीत सिंह, संयुक्त सचिव.

नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक 2 जनवरी 2023

क्रमांक एफ-7-03/2022/दो-गृह/भापुसे.—राज्य शासन एतद्द्वारा श्री शशि मोहन सिंह (भापुसे-2012), सेनानी, 5वीं वाहिनी छसबल, जगदलपुर, छ.ग. को दिनांक 27 जनवरी 2023 से 10 फरवरी 2023 (कुल 15 दिवस) तक का अर्जित अवकाश की स्वीकृति प्रदान की जाती है. साथ ही दिनांक 12 एवं 13 फरवरी 2023 के विज्ञप्त शासकीय अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री शशि मोहन सिंह, भापुसे आगामी आदेश तक, सेनानी, 5वीं वाहिनी, छसबल, जगदलपुर, छ.ग. के पद पर पुनः पदस्थ होंगे.

3. अवकाश काल में श्री सिंह (भापुसे) को अवकाश वेतन, भत्ते एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होंगे, जो उन्हें अवकाश में जाने से मिलते थे.

4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री सिंह (भापुसे) अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

5. श्री शशि मोहन सिंह (भापुसे-2012), सेनानी, 5वीं वाहिनी, छसबल, जगदलपुर, छ.ग. के उक्त अवकाश अवधि में उनका प्रभार श्री अजातशत्रु बहादुर सिंह, (भापुसे-2011), सेनानी, 9वीं वाहिनी, छसबल, दन्तेवाड़ा, छ.ग. को उनके वर्तमान कार्य के साथ-साथ सौंपा जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
मनोज कुमार श्रीवास्तव, अवर सचिव.

कौशल विकास, तकनीकी शिक्षा, एवं रोजगार विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर

नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक 2 जनवरी 2023

क्रमांक एफ-1-28/2022/त.शि./42.—राज्य शासन, छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मण्डल सेवा भर्ती नियम, 2013 में निम्नलिखित संशोधन करते हैं, अर्थात् :—

संशोधन

उक्त नियमों,—

1. नियम 9 में, उप-नियम (7) का लोप किया जाये.

2. नियम 18 के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाये, अर्थात् :—

"18. किसी सेवा या पद पर सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त किसी भी व्यक्ति को, प्रथमत: 3 वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर रखा जायेगा."

3. अनुसूची–तीन के खाना – (3) के सरल क्रमांक (3) के खाना (6) के सरल क्रमांक (2) के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाए ;

"मान्यता प्राप्त मण्डल/संस्था अथवा छत्तीसगढ़ शीघ्रलेखन मुद्रलेखन परीक्षा परिषद् से (कम्प्यूटर एवं साफ्टवेयर के माध्यम से) हिन्दी एवं अंग्रेजी मुद्रलेखन गति 8000 की (Key) डिप्रेशन प्रतिघंटा की गति (गति के संबंध में कौशल परीक्षा ली जाएगी) का प्रमाण पत्र."

4. अनुसूची–तीन के खाना – (3) के सरल क्रमांक (4) के खाना (6) के सरल क्रमांक (3) के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाए;

"मान्यता प्राप्त मण्डल/संस्था अथवा छत्तीसगढ़ शीघ्रलेखन मुद्रलेखन परीक्षा परिषद् से (कम्प्यूटर एवं साफ्टवेयर के माध्यम से) हिन्दी अथवा अंग्रेजी मुद्रलेखन गति 5000 की (Key) डिप्रेशन प्रतिघंटा की गति (गति के संबंध में कौशल परीक्षा ली जाएगी) का प्रमाण पत्र."

No. F 1-28/2022/TE/42.—The State Government, hereby, make the following amendment in the Chhattisgarh Vyavsayik Pariksha Mandal Service Rules, 2013, namely :—

AMENDMENT

In Schedule of the said rules :—

1. In rule 9, Sub-rule (7) be omitted.

2. In rule 18, the following shall be substituted, namely :—

"18. A Person appointed to a service or post by direct recruitment shall be placed on probation for first three years"

3. For entry (2) of Column (6) of serial No. (3) of Schedules III Column - (3) the following shall be substituted namely :—

"One year Diploma/Certificate in Data Entry Operator/Programming from any recognized Institute and Certificate of Hindi and English typing 8000 (Key) depression per hour (through Computer and Software) from Recognized Board/Institute or Chhattisgarh Stenography Typing Examination Council (efficiency test for speed shall be taken.)"

4. For entry (3) of Column (6) of serial No. (4) of Schedule III Column (3) the following shall be substituted namely :—

"Certificate of Hindi or English typing 5000 (Key) depression per hour (through Computer and Software) from Recognized Board/Institute or Chhattisgarh Stenography Typing Examination Council (efficiency) test for speed shall be taken.)"

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
जी. एल. सांकला, संयुक्त सचिव.

नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग

मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर

नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक 3 जनवरी 2023

क्रमांक एफ-1-3/2022/18.—राज्य शासन एतद्द्वारा छत्तीसगढ़ नगर पालिका अधिनियम 1961 की धारा 16(1) के अधीन नगर पालिका परिषद् अमलेश्वर, जिला-दुर्ग की परिषद के कृत्यों के संचालन हेतु आगामी आदेश पर्यन्त निम्नांकित समिति का गठन करता है :—

क्रमांक (1)	नाम (2)	पदनाम (3)
1.	नंदनी पोशु पठारी	अध्यक्ष
2.	श्री उमेश कुमार साहू	उपाध्यक्ष
3.	श्री गंगा प्रसाद निषाद	सदस्य
4.	श्री नेमप्रकाश भारती	सदस्य
5.	श्री कल्याण साहू	सदस्य
6.	श्री ओंकार घिंघोडे	सदस्य
7.	श्री खिलेश चक्रधारी	सदस्य
8.	श्री विष्णु यादव	सदस्य
9.	श्री जीवनंदन वर्मा	सदस्य
10.	श्री अमृत राजपूत	सदस्य
11.	श्री धर्मेन्द्र साहू	सदस्य
12.	श्री प्रवीण चन्द्राकर	सदस्य
13.	श्री हिमांशु शर्मा	सदस्य
14.	श्री रूपनारायण सोनकर	सदस्य
15.	श्री नरेन्द्र त्रिपाठी	सदस्य
16.	श्री शीतल सोनकर	सदस्य
17.	श्रीमती ईश्वरी सोनकर	सदस्य
18.	श्रीमती दुलारी साहू	सदस्य
19.	श्रीमती द्रोपती निषाद	सदस्य
20.	श्रीमती निर्मला साहू	सदस्य
21.	श्रीमती कमला शर्मा	सदस्य
22.	श्रीमती ममता नाग	सदस्य

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. एक्का, संयुक्त सचिव.

नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक 3 जनवरी 2023

क्रमांक एफ-1-3/2022/18.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में विभाग की अधिसूचना क्रमांक क्रमांक एफ-1-3/2022/18 दिनांक 03-01-2023 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. एक्का, संयुक्त सचिव.

Nava Raipur, Atal Nagar, the 3rd February 2023

No. F-1-3/2022/18.—In exercise of the powers conferred by section 16(1) of Chhattisgarh Municipal Act, 1961 (No. 37 of 1961) the State Government hereby Constitute Committee of following Members to execute functions of Municipal Council Amleshwar, Distt.-Durg till Further Orders :—

No. (1)	Name (2)	Postname (3)
1.	Nandani Poshu Pathari	President
2.	Shri Umesh Kumar Sahu	Vice President
3.	Shri Ganga Prashad Nishad	Member
4.	Shri Nameprakash Bharti	Member
5.	Shri Kalyan Sahu	Member
6.	Shri Onkar Ghinghode	Member
7.	Shri Khilesh Chakradhari	Member
8.	Shri Vishnu Yadav	Member
9.	Shri Jeevnandan Verma	Member
10.	Shri Amrit Rajput	Member
11.	Shri Dharmendra Sahu	Member
12.	Shri Praveen Chandrakar	Member
13.	Shri Himanshu Sharma	Member
14.	Shri Rupnarayan Sonkar	Member
15.	Shri Narendra Tripathi	Member
16.	Shri Shital Sonkar	Member
17.	Shrimati Ishwari Sonkar	Member
18.	Shrimati Dulari Sahu	Member
19.	Shrimati Dropati Nishad	Member
20.	Shrimati Nirmala Sahu	Member
21.	Shrimati Kamla Sharma	Member
22.	Shrimati Mamta Nag	Member

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
R. EKKA, Joint Secretary.

खनिज साधन विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर

नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक 4 जनवरी 2023

क्रमांक एफ 7-14/2013/12.—राज्य शासन एतद्द्वारा चीफ कन्ट्रोलर ऑफ माइन्स, भारतीय खान ब्यूरों, नागपुर के परिपत्र क्रमांक 2/2010, दिनांक 06-04-2010 के पैरा-2 के बिन्दु क्रमांक-2 एवं पत्र दिनांक 21-09-2011 तथा भारत सरकार के राजपत्र दिनांक 08-10-2014 एवं खनिज (परमाणु और हाइड्रोकार्बन ऊर्जा खनिजों से भिन्न) रियायत नियम, 2016 के नियम, 12 के अनुपालन में Differential Global Positioning System (डीजीपीएस) का उयोग करते हुए खनिज कोयला को छोड़कर समस्त खनिजों के खनिज रियायतों के सीमाओं में Pricise Boundary Pillar की स्थापना कर सर्वेक्षण करने के लिए नीचे तालिका में दर्शित संस्थान की अधिमान्यता का नवीनीकरण प्रदान करता है :—

क्र. (1)	आवेदित एजेन्सी का नाम एवं पता (2)	पूर्व अधिमान्यता अवधि (3)	रिमार्क (4)
1.	मे. कम्प्यूटर प्लस रायपुर प्रायवेट लिमिटेड, सेक्टर-1, राजीव गांधी वार्ड, देवेन्द्र नगर, रायपुर (Email-info@cplus.in)	29-10-2019 से 28-10-2022 तक (03 वर्ष)	खनिज कोयला को छोड़कर राज्य में समस्त खनिजों की खनिज रियायतों से संबंधित DGPS Survey कार्य हेतु.

उपर्युक्त तालिका अनुसार विभागीय समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 26-08-2020 द्वारा दिनांक 29-10-2019 से 03 वर्ष की अवधि के लिये डीजीपीएस सर्वे कार्य किये जाने हेतु सशर्त प्रदान की गई अधिमान्यता का नवीनीकरण किया गया था जिसकी अवधि दिनांक 28-10-2022 को समाप्त हो गई है. अतएव राज्य शासन, एतद्द्वारा उक्त अधिमान्यता का नवीनीकरण दिनांक 28-10-2022 से 03 वर्ष के लिये नीचे उल्लिखित शर्तों के अधीन प्रदान करता है.

2. अधिमान्यता प्राप्त संस्थानों के लिए निम्नानुसार शर्तें निर्धारित की गई है :—

1. Each corner of the lease area shall have a boundary pillar (corner pillar).

2. There shall be erected intermediate boundary pillars between the corner pillars in such a way that each pillar is visible from the adjacent pillar located on either side of it;

3. The distance between two adjacent pillars shall not be more than fifty meters;

4. The pillar shall be of square pytamid frustum shaped above the surface and cuboid shaped below the surface;

5. Each pillars shall be of reinforced cement concrete;

6. The corner pillar shall have a base of 0.3m × 0.3m and height of 1.30m of which 0.70m shall be above ground level and 0.60m below the ground;

7. The intermediate pillars shall have a base of 0.25m × 0.25m and height of 1.0m of which 0.70m shall be above ground level and 0.30m below the ground;

8. All pillars shall be painted in yellow colour and the top ten centimeters in red colour by enamel paint and shall be grouted with cement concrete;

9. On all corner pillars, distance and being to the forward and backward pillars and latitude and longitude shall be marked;

10. Each pillar shall have serial number in a clockwise direction and the number shall be engraved on the pillars;

11. The number of pillars shall be the numbers of the individual pillar upon the total number of pillars in the lease;

12. The tip of all the corner boundary pillars shall be a square of 15 centimeter on which a permanent circle of 10 centimeter diameter shall be drawn by paint or engraved and the actual boundary point shall be intersection of two diameters drawn at 90 degrees.

13. The lease boundary survey shall be accurate within such limits of error as the Control General, Indian Bureau of Mines may specify in this behalf;

14. The location and number of the pillars shall also be shown in the surface and other plans maintained by the lessee: and

15. In case of forest area within the lease, the size and construction and colour of the boundary pillars shall be as per the norms specified by the Forest Department in this behalf

16. The Survey Agency shall be responsible for the accuracy of the data collected during Survey.

17. Coordinates of boundary pillars shall be established in the World Geodetic System 1984 (WGS-84) Datum.

18. डीजीपीएस सर्वे कार्य हेतु पारिश्रमिक का निर्धारण अधिमान्यता प्राप्त संस्थान एवं खनिज रियायतधारी के मध्य आपसी समन्वय से किया जायेगा. किसी भी प्रकार का आपसी विवाद होने पर राज्य शासन उत्तरदायी नहीं होगा.

19. डीजीपीएस सर्वे कार्य के गुणवत्ता में कमी पाये जाने पर या किसी भी प्रकार की कार्य संबंधी शिकायत पाये जाने पर जांच उपरांत राज्य शासन को यह अधिकार होगा कि उक्त अधिकृत एजेंसी की मान्यता किसी भी समय समाप्त की जा सकती है.

20. डीजीपीएस सर्वे के संबंध में भारतीय खान ब्यूरो/राज्य शासन द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशों का पालन अधिमान्यता प्राप्त संस्थान को करना होगा.

21. राज्य शासन द्वारा जारी यह अधिमान्यता केवल 03 वर्ष के लिए होगी. समयावधि समाप्ति से 03 माह पूर्व अधिकृत एजेंसी नवीनीकरण हेतु आवेदन कर सकेगा.

3. यह अधिमान्यता नवकरण अधिसूचना के जारी होने की तिथि से 03 वर्ष के लिए ही मान्य होगी.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
जय प्रकाश मौर्य, संयुक्त सचिव.

आवास एवं पर्यावरण विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर

नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक 11 जनवरी 2023

शुद्धि पत्र

क्रमांक एफ 7-30/2021/32.—छत्तीसगढ़ नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 की धारा 23-क उपधारा (1) एवं (2) के अंतर्गत रायपुर विकास योजना (पुनर्विलोकित) 2021 के ग्राम सरोरा में उपांतरण हेतु जारी अधिसूचना दिनांक 29-06-2022 जो कि छत्तीसगढ़ राजपत्र दिनांक 15-07-2022, पृ.क्र. 955 में मुद्रित हुई है, में सारणी के सरल क्रमांक 05 के कॉलम (3) खसरा क्र. में प्रविष्टि "96/1 का भाग" के स्थान पर "99/1 का भाग" पढ़ा जाये.

नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक 11 जनवरी 2023

क्रमांक एफ 07-41/2022/32.—छत्तीसगढ़ नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 (क्रमांक 23 सन् 1973) की धारा 13 की उप धारा (2) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन एतद्द्वारा अधिसूचना क्रमांक एफ 9-22/32/05 दिनांक 10-05-2005 द्वारा गठित गौरेला निवेश क्षेत्र एवं एफ 7-42/2016/32 दिनांक 31-08-2016 द्वारा गठित पेण्ड्रा निवेश क्षेत्र को समामेलित कर गौरेला-पेण्ड्रा निवेश क्षेत्र का गठन करता है, जिसकी सीमाएं नीचे दी गई अनुसूची में परिनिश्चित की गई है :—

अनुसूची

गौरेला-पेण्ड्रा निवेश क्षेत्र की सीमाएं

उत्तर में : ग्राम पतगवां, बंधी, बचरवार, पेण्ड्रा तथा गिरवर की उत्तरी सीमा तक.

पश्चिम में : ग्राम गिरवर, टीकरकलां, बेलगहना, गोरखपुर, अंजनी तथा मडना की पश्चिमी सीमा तक.

दक्षिण में : ग्राम मडना, सारबहरा, टीकरकलां, डुमरिया, सेमरा, पेण्ड्रा तथा अमरपुर की दक्षिणी सीमा तक.

पूर्व में : ग्राम अमरपुर, लटकोनीकला तथा पतगवां की पूर्वी सीमा तक.

नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक 12 जनवरी 2023

शुद्धि पत्र

क्रमांक एफ 7-2/2020/32.—विभागीय समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 29-02-2020 द्वारा छत्तीसगढ़ नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 की धारा 13 की उपधारा (2) के खण्ड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए पुनर्गठित बिल्हा निवेश क्षेत्र की सीमाएं निर्धारित की गई है. उक्त अधिसूचना की अनुसूची-दो बिल्हा निवेश क्षेत्र की पुनर्गठित सीमाएं में उल्लेखित ग्राम "झलका" के स्थान पर "झलफा" पढ़ा जाये.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सी. तिर्की, उप-सचिव.

विधि और विधायी कार्य विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर

नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक 3 जनवरी 2023

क्रमांक 133/2156/21-ब/छ.ग./2022.—राज्य शासन, एतद्द्वारा छत्तीसगढ़ माध्यस्थम अधिकरण अधिनियम, 1983 (क्रमांक 29 सन् 1983) की धारा 4 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए श्री दयाशंकर परगनिहा, सेवा निवृत्त, मुख्य अभियंता, छ.ग. ग्रा.या. सेवा को उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से पांच वर्ष या उनके 65 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक, जो भी पहले हो, छत्तीसगढ़ माध्यस्थम अधिकरण, रायपुर में तकनीकी सदस्य के पद पर नियुक्त करता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अनिल कुमार पाण्डेय, अतिरिक्त सचिव.

वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर

नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक 21 दिसम्बर 2022

क्रमांक एफ 1-08/2018/10-भा.व.से.—राज्य शासन एतद्द्वारा भारतीय वन सेवा के कनिष्ठ प्रशासनिक वेतनमान प्राप्त उप वन संरक्षक संवर्ग के निम्नलिखित अधिकारियों को उनके नाम के सम्मुख कॉलम क्रमांक-3 में उल्लेखित पात्रता तिथि से प्रवर श्रेणी वेतनमान (Selection Grade : Level 13 in the Pay Matrix Rs. 1,23,100-2,15,900) में नियुक्त करता है :—

क्र. (1)	अधिकारी का नाम (2)	प्रवर श्रेणी वेतनमान में पात्रता की तिथि (3)
1.	श्री बी. विवेकानंद रेड्डी (2009)	01-01-2022
2.	श्री मनिवासगन एस. (2009)	01-01-2022

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. के. चंचलानी, अवर सचिव.

राजस्व विभाग

कार्यालय, कलेक्टर, जिला महासमुन्द, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग

महासमुन्द, दिनांक 21 दिसम्बर 2022

प्रारूप-एक
(नियम 11 देखिये)

क्रमांक/790/भू-अर्जन/2022.—भूमि-अर्जन पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर तथा पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा-4 सहपठित नियम 7 के अन्तर्गत नीचे अनुसूची में उल्लेखित भूमि का अर्जन लोक प्रयोजन हेतु राज्य सरकार द्वारा आशयित है अर्थात् :—

जिला (1)	तहसील (2)	ग्राम/नगर (3)	क्षेत्रफल (4)	लोक प्रयोजन का विवरण (5)
महासमुन्द	पिथौरा	देवसराल प.ह.नं. 44	3.30 हे.	लोवर जोंक बैराज योजना के अन्तर्गत देवसराल माईनर देवसराल सब माईनर एवं सानटेमरी शाखा नहर निर्माण कार्य हेतु.

उपरोक्त उल्लेखित भूमि के अर्जन हेतु सामाजिक समाघात निर्धारण के अध्ययन हेतु जन सुनवाई दिनांक 02-01-2023 को समय 11.00 से स्थान ग्राम पंचायत देवसराल तहसील पिथौरा में नियत की गई है. प्रस्तावित भूमि भू-अर्जन का अन्य विवरण निम्नानुसार है :—

1.	लोक प्रयोजन का संक्षिप्त विवरण	—	लोवर जोंक बैराज योजना से खरीफ फसल सिंचाई सुविधा के लिए शाखा नहर निर्माण कार्य हेतु.
2.	प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित परिवारों की संख्या	—	44
3.	अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित परिवारों की संख्या	—	64
4.	प्रभावित क्षेत्र में निजी मकानों तथा अन्य परिसम्पत्तियों की अनुमानित संख्या.	—	निरंक
5.	प्रभावित क्षेत्र में शासकीय मकानों तथा अन्य परिसम्पत्तियों की अनुमानित संख्या.	—	निरंक
6.	क्या प्रस्तावित अर्जन न्यूनतम है ?	—	हां
7.	क्या सम्भव विकल्पों और इसकी साध्यता पर विचार कर लिया गया है.	—	हां
8.	लोवर जोंक बैराज योजना की कुल लागत	—	रु. 14068.43 लाख
9.	लोवर जोंक बैराज योजना से होने वाला लाभ	—	लोवर जोंक बैराज योजना से 1980 हेक्टेयर में खरीफ फसल के लिए सिंचाई सुविधा उपलब्ध होगी.
10.	प्रस्तावित सामाजिक समाघात के लिए उपाय एवं उस पर होने वाला संभावित व्यय.	—	प्रस्तावित सामाजिक समाघात की प्रतिपूर्ति के लिए प्रयास तथा उस पर होने वाला संभावित व्यय राशि 14068.43 लाख किये जा रहे हैं.
11.	परियोजना द्वारा प्रभावित होने वाले अन्य घटक	—	निरंक

उपरोक्त भूमि भू-अर्जन के संबंध में किसी व्यक्ति/संस्था या अन्य किसी व्यक्ति को कोई जानकारी/सुझाव देना हो, तो विहित तिथि/समय एवं स्थान पर दी जा सकेगी.

महासमुन्द, दिनांक 21 दिसम्बर 2022

प्रारूप-एक

(नियम 11 देखिये)

क्रमांक/793/भू-अर्जन/2022.—भूमि-अर्जन पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर तथा पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा-4 सहपठित नियम 7 के अन्तर्गत नीचे अनुसूची में उल्लेखित भूमि का अर्जन लोक प्रयोजन हेतु राज्य सरकार द्वारा आशयित है अर्थात् :—

जिला (1)	तहसील (2)	ग्राम/नगर (3)	क्षेत्रफल (4)	लोक प्रयोजन का विवरण (5)
महासमुन्द	पिथौरा	बड़ेटेमरी प.ह.नं. 44	0.06 हे.	लोवर जोंक बैराज योजना के अन्तर्गत देवसराल शाखा नहर निर्माण कार्य हेतु.

उपरोक्त उल्लेखित भूमि के अर्जन हेतु सामाजिक समाघात निर्धारण के अध्ययन हेतु जन सुनवाई दिनांक 03-01-2023 को समय 11.00 से स्थान ग्राम पंचायत बड़ेटेमरी तहसील पिथौरा में नियत की गई है. प्रस्तावित भूमि भू-अर्जन का अन्य विवरण निम्नानुसार है :—

1.	लोक प्रयोजन का संक्षिप्त विवरण	—	लोवर जोंक बैराज योजना से खरीफ फसल सिंचाई सुविधा के लिए शाखा नहर निर्माण कार्य हेतु.
2.	प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित परिवारों की संख्या	—	01
3.	अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित परिवारों की संख्या	—	01
4.	प्रभावित क्षेत्र में निजी मकानों तथा अन्य परिसम्पत्तियों की अनुमानित संख्या.	—	निरंक
5.	प्रभावित क्षेत्र में शासकीय मकानों तथा अन्य परिसम्पत्तियों की अनुमानित संख्या.	—	निरंक
6.	क्या प्रस्तावित अर्जन न्यूनतम है	—	हां
7.	क्या सम्भव विकल्पों और इसकी साध्यता पर विचार कर लिया गया है.	—	हां
8.	लोवर जोंक बैराज योजना की कुल लागत	—	रु. 14068.43 लाख
9.	लोवर जोंक बैराज योजना से होने वाला लाभ	—	लोवर जोंक बैराज योजना से 1980 हेक्टेयर में खरीफ फसल के लिए सिंचाई सुविधा उपलब्ध होगी.
10.	प्रस्तावित सामाजिक समाघात के लिए उपाय एवं उस पर होने वाला संभावित व्यय.	—	प्रस्तावित सामाजिक समाघात की प्रतिपूर्ति के लिए प्रयास तथा उस पर होने वाला संभावित व्यय राशि 14068.43 लाख किये जा रहे हैं.
11.	परियोजना द्वारा प्रभावित होने वाले अन्य घटक	—	निरंक

उपरोक्त भूमि भू-अर्जन के संबंध में किसी व्यक्ति/संस्था या अन्य किसी व्यक्ति को कोई जानकारी/सुझाव देना हो, तो विहित तिथि/समय एवं स्थान पर दी जा सकेगी.

महासमुन्द, दिनांक 22 दिसम्बर 2022

प्रारूप–एक

(नियम 11 देखिये)

क्रमांक/796/भू–अर्जन/2022.—भूमि–अर्जन पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर तथा पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा–4 सहपठित नियम 7 के अन्तर्गत नीचे अनुसूची में उल्लेखित भूमि का अर्जन लोक प्रयोजन हेतु राज्य सरकार द्वारा आशयित है अर्थात् :—

जिला (1)	तहसील (2)	ग्राम/नगर (3)	क्षेत्रफल (4)	लोक प्रयोजन का विवरण (5)
महासमुन्द	पिथौरा	सांकरा प.ह.नं. 45	0.38 हे.	लोवर जोंक बैराज योजना के अन्तर्गत सांकरा माईनर निर्माण कार्य हेतु.

उपरोक्त उल्लेखित भूमि के अर्जन हेतु सामाजिक समाघात निर्धारण के अध्ययन हेतु जन सुनवाई दिनांक 04–01–2023 को समय 11.00 से स्थान ग्राम पंचायत सांकरा तहसील पिथौरा में नियत की गई है. प्रस्तावित भूमि भू–अर्जन का अन्य विवरण निम्नानुसार है :—

1.	लोक प्रयोजन का संक्षिप्त विवरण	—	लोवर जोंक बैराज योजना से खरीफ फसल सिंचाई सुविधा के लिए शाखा नहर निर्माण कार्य हेतु.
2.	प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित परिवारों की संख्या	—	04
3.	अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित परिवारों की संख्या	—	01
4.	प्रभावित क्षेत्र में निजी मकानों तथा अन्य परिसम्पत्तियों की अनुमानित संख्या.	—	निरंक
5.	प्रभावित क्षेत्र में शासकीय मकानों तथा अन्य परिसम्पत्तियों की अनुमानित संख्या.	—	निरंक
6.	क्या प्रस्तावित अर्जन न्यूनतम है	—	हां
7.	क्या सम्भव विकल्पों और इसकी साध्यता पर विचार कर लिया गया है.	—	हां
8.	लोवर जोंक बैराज योजना की कुल लागत	—	रु. 14068.43 लाख
9.	लोवर जोंक बैराज योजना से होने वाला लाभ	—	लोवर जोंक बैराज योजना से 1980 हेक्टेयर में खरीफ फसल के लिए सिंचाई सुविधा उपलब्ध होगी.
10.	प्रस्तावित सामाजिक समाघात के लिए उपाय एवं उस पर होने वाला संभावित व्यय.	—	प्रस्तावित सामाजिक समाघात की प्रतिपूर्ति के लिए प्रयास तथा उस पर होने वाला संभावित व्यय राशि 14068.43 लाख किये जा रहे हैं.
11.	परियोजना द्वारा प्रभावित होने वाले अन्य घटक	—	निरंक

उपरोक्त भूमि भू–अर्जन के संबंध में किसी व्यक्ति/संस्था या अन्य किसी व्यक्ति को कोई जानकारी/सुझाव देना हो, तो विहित तिथि/समय एवं स्थान पर दी जा सकेगी.

महासमुन्द, दिनांक 22 दिसम्बर 2022

प्रारूप-एक

(नियम 11 देखिये)

क्रमांक/799/भू-अर्जन/2022.—भूमि-अर्जन पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर तथा पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा-4 सहपठित नियम 7 के अन्तर्गत नीचे अनुसूची में उल्लेखित भूमि का अर्जन लोक प्रयोजन हेतु राज्य सरकार द्वारा आशयित है अर्थात् :—

जिला (1)	तहसील (2)	ग्राम/नगर (3)	क्षेत्रफल (4)	लोक प्रयोजन का विवरण (5)
महासमुन्द	पिथौरा	माटीदरहा प.ह.नं. 46	1.14 हे.	लोवर जोंक बैराज योजना के अन्तर्गत माटीदरहा माईनर निर्माण कार्य हेतु.

उपरोक्त उल्लेखित भूमि के अर्जन हेतु सामाजिक समाघात निर्धारण के अध्ययन हेतु जन सुनवाई दिनांक 05-01-2023 को समय 11.00 से स्थान ग्राम पंचायत माटीदरहा तहसील पिथौरा में नियत की गई है. प्रस्तावित भूमि भू-अर्जन का अन्य विवरण निम्नानुसार है :—

1.	लोक प्रयोजन का संक्षिप्त विवरण	—	लोवर जोंक बैराज योजना से खरीफ फसल सिंचाई सुविधा के लिए शाखा नहर निर्माण कार्य हेतु.
2.	प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित परिवारों की संख्या	—	26
3.	अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित परिवारों की संख्या	—	32
4.	प्रभावित क्षेत्र में निजी मकानों तथा अन्य परिसम्पत्तियों की अनुमानित संख्या.	—	निरंक
5.	प्रभावित क्षेत्र में शासकीय मकानों तथा अन्य परिसम्पत्तियों की अनुमानित संख्या.	—	निरंक
6.	क्या प्रस्तावित अर्जन न्यूनतम है	—	हां
7.	क्या सम्भव विकल्पों और इसकी साध्यता पर विचार कर लिया गया है.	—	हां
8.	लोवर जोंक बैराज योजना की कुल लागत	—	रु. 14068.43 लाख
9.	लोवर जोंक बैराज योजना से होने वाला लाभ	—	लोवर जोंक बैराज योजना से 1980 हेक्टेयर में खरीफ फसल के लिए सिंचाई सुविधा उपलब्ध होगी.
10.	प्रस्तावित सामाजिक समाघात के लिए उपाय एवं उस पर होने वाला संभावित व्यय.	—	प्रस्तावित सामाजिक समाघात की प्रतिपूर्ति के लिए प्रयास तथा उस पर होने वाला संभावित व्यय राशि 14068.43 लाख किये जा रहे हैं.
11.	परियोजना द्वारा प्रभावित होने वाले अन्य घटक	—	निरंक

उपरोक्त भूमि भू-अर्जन के संबंध में किसी व्यक्ति/संस्था या अन्य किसी व्यक्ति को कोई जानकारी/सुझाव देना हो, तो विहित तिथि/समय एवं स्थान पर दी जा सकेगी.

महासमुन्द, दिनांक 22 दिसम्बर 2022

प्रारूप–एक

(नियम 11 देखिये)

क्रमांक/802/भू–अर्जन/2022.—भूमि–अर्जन पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर तथा पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा–4 सहपठित नियम 7 के अन्तर्गत नीचे अनुसूची में उल्लेखित भूमि का अर्जन लोक प्रयोजन हेतु राज्य सरकार द्वारा आशयित है अर्थात् :—

जिला (1)	तहसील (2)	ग्राम/नगर (3)	क्षेत्रफल (4)	लोक प्रयोजन का विवरण (5)
महासमुन्द	पिथौरा	बिजेपुर प.ह.नं. 45	0.62 हे.	लोवर जोंक बैराज योजना नहर के अन्तर्गत उतेकेल माईनर निर्माण कार्य हेतु.

उपरोक्त उल्लेखित भूमि के अर्जन हेतु सामाजिक समाघात निर्धारण के अध्ययन हेतु जन सुनवाई दिनांक 06–01–2023 को समय 11.00 से स्थान ग्राम पंचायत उतेकेल तहसील पिथौरा में नियत की गई है. प्रस्तावित भूमि भू–अर्जन का अन्य विवरण निम्नानुसार है :—

1.	लोक प्रयोजन का संक्षिप्त विवरण	—	लोवर जोंक बैराज योजना से खरीफ फसल सिंचाई सुविधा के लिए शाखा नहर निर्माण कार्य हेतु.
2.	प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित परिवारों की संख्या	—	12
3.	अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित परिवारों की संख्या	—	27
4.	प्रभावित क्षेत्र में निजी मकानों तथा अन्य परिसम्पत्तियों की अनुमानित संख्या.	—	निरंक
5.	प्रभावित क्षेत्र में शासकीय मकानों तथा अन्य परिसम्पत्तियों की अनुमानित संख्या.	—	निरंक
6.	क्या प्रस्तावित अर्जन न्यूनतम है	—	हां
7.	क्या सम्भव विकल्पों और इसकी साध्यता पर विचार कर लिया गया है.	—	हां
8.	लोवर जोंक बैराज योजना की कुल लागत	—	रु. 14068.43 लाख
9.	लोवर जोंक बैराज योजना से होने वाला लाभ	—	लोवर जोंक बैराज योजना से 1980 हेक्टेयर में खरीफ फसल के लिए सिंचाई सुविधा उपलब्ध होगी.
10.	प्रस्तावित सामाजिक समाघात के लिए उपाय एवं उस पर होने वाला संभावित व्यय.	—	प्रस्तावित सामाजिक समाघात की प्रतिपूर्ति के लिए प्रयास तथा उस पर होने वाला संभावित व्यय राशि 14068.43 लाख किये जा रहे हैं.
11.	परियोजना द्वारा प्रभावित होने वाले अन्य घटक	—	निरंक

उपरोक्त भूमि भू–अर्जन के संबंध में किसी व्यक्ति/संस्था या अन्य किसी व्यक्ति को कोई जानकारी/सुझाव देना हो, तो विहित तिथि/समय एवं स्थान पर दी जा सकेगी.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
नीलेश कुमार क्षीरसागर, कलेक्टर एवं पदेन उप–सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला बलरामपुर-रामानुजगंज, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग

बलरामपुर-रामानुजगंज, दिनांक 10 जनवरी 2023

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक/96/202204270900005/अ-82/2020-21.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जायेगा) की धारा 11 की उप-धारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन एतद्द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अंतर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के द्वारा	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बलरामपुर-रामानुजगंज	रामानुजगंज	बुलगांव प.ह.नं.-39	30.57	कार्यालय कार्यपालन अभियन्ता, जल संसाधन विभाग, क्रमांक-2 रामानुजगंज, जिला बलरामपुर-रामानुजगंज (छ.ग.).	भवरमाल जलाशय योजना के मुख्य नहर निर्माण अंतर्गत ग्राम-बुलगांव.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.) रामानुजगंज, जिला बलरामपुर-रामानुजगंज (छ.ग.) के कार्यालय में किया जा सकता है.

बलरामपुर-रामानुजगंज, दिनांक 10 जनवरी 2023

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक/98/202204270900004/अ-82/2021-22.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जायेगा) की धारा 11 की उप-धारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन एतद्द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अंतर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के द्वारा	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बलरामपुर-रामानुजगंज	रामानुजगंज	भवरमाल प.ह.नं.-40	3.11	कार्यालय कार्यपालन अभियन्ता, जल संसाधन विभाग, क्रमांक-2 रामानुजगंज, जिला बलरामपुर-रामानुजगंज (छ.ग.).	भवरमाल जलाशय योजना के मुख्य नहर निर्माण अंतर्गत ग्राम-भवरमाल.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.) रामानुजगंज, जिला बलरामपुर-रामानुजगंज (छ.ग.) के कार्यालय में किया जा सकता है.

बलरामपुर-रामानुजगंज, दिनांक 10 जनवरी 2023

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक/100/202204270900006/अ-82/2021-22.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जायेगा) की धारा 11 की उप-धारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन एतद्द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अंतर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के द्वारा	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बलरामपुर-रामानुजगंज	रामानुजगंज	धनपुरी प.ह.नं.-40	0.40	कार्यालय कार्यपालन अभियन्ता, जल संसाधन विभाग, क्रमांक-2 रामानुजगंज, जिला बलरामपुर-रामानुजगंज (छ.ग.).	भवरमाल जलाशय योजना के मुख्य नहर निर्माण अंतर्गत ग्राम-धनपुरी.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.) रामानुजगंज, जिला बलरामपुर-रामानुजगंज (छ.ग.) के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
विजय दयाराम के., कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला रायगढ़, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग

रायगढ़, दिनांक 17 जनवरी 2023

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 03/अ-82/2021-22.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम, 2013 कहा जायेगा) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-रायगढ़
- (ख) तहसील-धरमजयगढ़
- (ग) नगर/ग्राम-गवरघुटरी
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.306 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
38	0.097
213	0.097
10	0.016

	(1)	(2)
	95/2	0.012
	95/1	0.008
	96	0.008
	2	0.032
	115	0.036
योग	08	0.306

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है–धरमजयगढ़ से कापू मार्ग के चौड़ीकरण, उन्नयन एवं पुनर्निर्माण कार्य हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), धरमजयगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 17 जनवरी 2023

भू–अर्जन प्रकरण क्रमांक 04/अ–82/2021–22.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम, 2013 कहा जायेगा) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन–
- (क) जिला–रायगढ़
- (ख) तहसील–धरमजयगढ़
- (ग) नगर/ग्राम–खम्हार
- (घ) लगभग क्षेत्रफल–0.511 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
1034/3	0.008
1032	0.051
1035/1	0.019
1038/2	0.026
1027	0.134
1025/5	0.045
1026/2	0.007
1025/3	0.024
1025/4	0.024
1021	0.026
1052/9	0.035
1024	0.002
1052/8	0.070
1020	0.008
1025/1	0.002
1042	0.003
योग 16	0.511

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है–धरमजयगढ़ से कापू मार्ग के चौड़ीकरण, उन्नयन एवं पुनर्निर्माण कार्य हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), धरमजयगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 17 जनवरी 2023

भू–अर्जन प्रकरण क्रमांक 05/अ–82/2021–22.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम, 2013 कहा जायेगा) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन–
- (क) जिला–रायगढ़
- (ख) तहसील–धरमजयगढ़
- (ग) नगर/ग्राम–सोनपुर
- (घ) लगभग क्षेत्रफल–1.182 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
128/11	0.010
41/1/ख/1	0.020
41/1/क	0.016
46/1	0.028
123/3/क	0.015
46/2	0.024

(1)	(2)
54	0.053
52/1	0.020
53	0.016
55/1/क	0.014
69	0.014
55/1/ख	0.014
68/1/क	0.004
158/3	0.016
161/1	0.011
66/1	0.018
65	0.034
66/3	0.032
102/1/ख	0.007
102/2	0.010
103	0.018
104	0.008
105/1	0.008
106	0.012
120	0.034
190	0.024
111/4	0.023
111/5	0.024
118	0.026
121/5	0.010
121/4	0.010
121/2	0.016
122/1	0.012
119	0.008
117/1/ग	0.012
123/2	0.024
165/2	0.096
123/4	0.024
123/5	0.024
192/1/च	0.008
169/3	0.010
141	0.021
137/1/क	0.008
142/1	0.033
159/2/ख	0.031
153/1	0.016
153/3	0.016
153/2	0.023
153/4	0.016
155/1	0.022
160	0.011
156	0.012
158/1	0.007
161/2	0.011
158/2	0.019
158/4/क	0.018
159/6	0.064
162	0.053
163/1	0.005
योग 59	1.182

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है–धरमजयगढ़ से कापू मार्ग के चौड़ीकरण, उन्नयन एवं पुनर्निर्माण कार्य हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), धरमजयगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 17 जनवरी 2023

भू–अर्जन प्रकरण क्रमांक 06/अ–82/2021–22.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम, 2013 कहा जायेगा) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन–
- (क) जिला–रायगढ़
- (ख) तहसील–धरमजयगढ़
- (ग) नगर/ग्राम–सरिया
- (घ) लगभग क्षेत्रफल–0.598 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
396	0.015
397/2	0.039
397/1	0.036
647	0.011
637	0.046
676	0.110
655	0.010
654	0.057

	(1)	(2)
	646	0.016
	639/3	0.020
	639/2	0.014
	639/1	0.018
	642	0.030
	624	0.027
	643	0.028
	625	0.024
	678	0.010
	644	0.011
	677	0.066
	679/6	0.010
योग	20	0.598

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है–धरमजयगढ़ से कापू मार्ग के चौड़ीकरण, उन्नयन एवं पुनर्निर्माण कार्य हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), धरमजयगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 17 जनवरी 2023

भू–अर्जन प्रकरण क्रमांक 07/अ–82/2021–22.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम, 2013 कहा जायेगा) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन–
- (क) जिला–रायगढ़
- (ख) तहसील–धरमजयगढ़
- (ग) नगर/ग्राम–बकालो
- (घ) लगभग क्षेत्रफल–1.588 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
532/1	0.011
532/2	0.037
669	0.009
546/1	0.003
297/33/क	0.001
575	0.032
580	0.032
576/2	0.010
576/1	0.020
608/4/ख	0.033
578/1	0.011
578/2	0.010
578/3	0.011
593	0.013
595	0.007
336/1	0.009
336/3	0.010
334/2	0.008
335/3	0.019
342/2	0.008
297/11/ग	0.005
336/2	0.016
330/1/क	0.006
335/2	0.019
340/2	0.008
341/2	0.003
343/2	0.007
297/11/ख	0.005
335/1	0.024
297/11/क	0.005
297/12/1	0.020
340/1	0.001
341/1	0.003
327/3/क/2	0.008
327/4	0.008
326/12	0.028
326/13	0.036
297/12/2	0.008
297/13/क	0.048
297/13/ख	0.017
297/36/क	0.028
298	0.040
302	0.003
299/1	0.051
314/4	0.037
299/2	0.032
314/1/ख	0.016
300	0.030
301	0.032

(1)	(2)
315/1	0.022
314/1/ग	0.032
304/2	0.026
305/3	0.025
531	0.113
568	0.032
598	0.108
569	0.141
571	0.144
599	0.004
604	0.025
603	0.022
342/1	0.008
343/1	0.007
327/3क/1	0.008
297/36/ख	0.033
योग 65	1.588

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है–धरमजयगढ़ से कापू मार्ग के चौड़ीकरण, उन्नयन एवं पुनर्निर्माण कार्य हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), धरमजयगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 17 जनवरी 2023

भू–अर्जन प्रकरण क्रमांक 08/अ–82/2021–22.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम, 2013 कहा जायेगा) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन–
- (क) जिला–रायगढ़
- (ख) तहसील–धरमजयगढ़
- (ग) नगर/ग्राम–भोजपुर
- (घ) लगभग क्षेत्रफल–0.822 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
518, 519/2	0.004
519/1	0.006
516/7	0.021
525/3, 526	0.003
522/1, 525/2	0.020
454/1, 454/3, 455/2	0.011
453	0.008
286/2, 288	0.002
525/1	0.010
202	0.016
520	0.006
82/1	0.012
86/1	0.012
516/4	0.002
523/1	0.004
284/10, 286/1	0.017
286/5	0.016
456	0.019
455/1	0.027
292/1	0.019
194/5	0.007
220	0.005
152/2	0.009
1/6	0.025
286/6	0.017
287	0.008
181	0.007
180/2	0.001
16	0.068
24/1	0.015
253/4	0.001
223, 290/2/क	0.012
11/2	0.008
290/1	0.012
221	0.011
11/1	0.012
223/2/ख/1	0.012
195	0.008
196	0.007
198/1	0.012
219	0.019
89	0.020
152/3, 153	0.009
198/2	0.012

(1)	(2)
203/2	0.009
201	0.004
83	0.014
13	0.008
171, 174, 178/3, 179, 180/1	0.027
194/2/ख	0.006
155, 156/2	0.015
133/2	0.012
84	0.014
194/2/क	0.006
183/1, 183/2	0.007
146/4, 148, 149/3, 149/4, 149/5	0.019
186/2	0.012
137/2	0.018
14	0.033
1/8	0.006
1/5	0.016
23/1	0.003
24/2/ख	0.027
24/2/ग	0.014
योग 64	0.822

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-धरमजयगढ़ से कापू मार्ग के चौड़ीकरण, उन्नयन एवं पुनर्निर्माण कार्य हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), धरमजयगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 17 जनवरी 2023

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 09/अ-82/2021-22.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम, 2013 कहा जायेगा) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-रायगढ़
- (ख) तहसील-धरमजयगढ़
- (ग) नगर/ग्राम-टोनाहीनारा
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.162 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
474	0.040
475	0.018
604/3	0.010
604/2	0.010
604/1	0.008
604/5	0.008
587	0.012
541	0.036
558	0.012
604/4	0.008
योग 10	0.162

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-धरमजयगढ़ से कापू मार्ग के चौड़ीकरण, उन्नयन एवं पुनर्निर्माण कार्य हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), धरमजयगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 17 जनवरी 2023

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 10/अ-82/2021-22.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम, 2013 कहा जायेगा) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-रायगढ़
- (ख) तहसील-धरमजयगढ़
- (ग) नगर/ग्राम-कापू
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.784 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
231/4, 232/2	0.012
231/7	0.022

(1)	(2)
393/13	0.021
231/5	0.002
231/6	0.004
237/2	0.016
254/4	0.017
255/4	0.002
255/5	0.004
255/2	0.002
254/3, 255/3	0.012
254/1	0.017
255/1	0.009
276/1, 277/1	0.018
276/2, 277/2	0.003
279/5	0.003
279/6	0.006
273/4	0.009
280/7	0.024
280/1	0.031
280/6	0.013
280/3	0.012
281/1/ख	0.008
281/1/घ	0.006
281/1/ग	0.024
271/10/क	0.015
271/15, 181/1ञ	0.005
271/7, 281/1/ङ	0.005
271/10/ख, 281/1/ड	0.005
282/3	0.028
271/1	0.004
254/5	0.014
281/4/ग	0.008
281/4/घ	0.008
281/8	0.028
281/9	0.017
279/3/ग	0.015
279/3/घ	0.015
280/5	0.019
279/3/ड	0.005
279/3/ठ	0.003
279/3/क/2	0.003
277/3/क	0.029
352/1	0.003
352/4	0.002
252/1	0.003
252/3	0.012
252/2	0.018
251/1	0.011
251/2	0.016
249	0.042
246, 247	0.006
393/19	0.040
393/18	0.015
283/4	0.010
255/7	0.002
255/6	0.010
279/3/क/1	0.020
254/2	0.017
283/1	0.018
271/5	0.008
281/4/ङ	0.004
281/4/ख	0.004
योग 63	0.784

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-धरमजयगढ़ से कापू मार्ग के चौड़ीकरण, उन्नयन एवं पुनर्निर्माण कार्य हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), धरमजयगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 17 जनवरी 2023

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 11/अ-82/2021-22.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम, 2013 कहा जायेगा) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-रायगढ़
- (ख) तहसील-धरमजयगढ़
- (ग) नगर/ग्राम-मिरिगुड़ा
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-2.993 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
558/46	0.020

(1)	(2)
558/9/य, 560/1/भ	0.115
558/8	0.009
558/84	0.040
209/8	0.012
558/5	0.017
558/7/क	0.040
558/9/ख	0.012
558/7/ख	0.026
209/1/ज	0.114
192/1	0.032
143	0.016
272/1/क	0.016
273	0.029
184/1	0.004
183/1	0.024
177	0.085
171/7/9	0.024
171/7/6	0.008
306/2	0.004
171/7/8	0.024
171/7/5	0.008
171/7/4	0.008
171/7/7	0.024
306/1	0.004
171/6/क	0.032
186/3	0.012
45/14	0.114
45/18	0.154
186/2	0.036
305/1	0.170
186/4	0.012
274/1/ख	0.036
274/1ग	0.026
274/2	0.045
274/3	0.045
274/4	0.034
272/2	0.012
248/10/क	0.012
248/10/ख	0.012
272/3	0.008
262	0.053
258/1	0.020
274/1क	0.190
256	0.056
192/4/ख/1	0.024
258/2	0.056
259/2	0.004
253	0.032
252	0.004
209/7/क	0.024
248/12/क	0.077
248/12/ख	0.016
209/1ङ	0.024
209/7/ख	0.020
206/1	0.054
206/5	0.012
206/4	0.012
206/3	0.012
206/2	0.012
204	0.008
187	0.024
183/4	0.004
178/1	0.101
171/6/ख	0.016
320/3	0.032
318	0.002
257	0.012
558/6/क	0.014
197/1	0.004
192/4/ख/4	0.020
209/1ग	0.012
45/16	0.040
45/20	0.079
192/8	0.016
45/19	0.016
263	0.053
192/4/क/4	0.012
271	0.052
192/5	0.024
योग 80	2.993

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है–धरमजयगढ़ से कापू मार्ग के चौड़ीकरण, उन्नयन एवं पुनर्निर्माण कार्य हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), धरमजयगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 17 जनवरी 2023

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 12/अ-82/2021-22.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम, 2013 कहा जायेगा) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-रायगढ़
- (ख) तहसील-धरमजयगढ़
- (ग) नगर/ग्राम-बंधनपुर
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-1.348 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
224/2	0.004
61/1/क	0.011
44/1/घ	0.004
39/7	0.008
137/2	0.004
58, 59	0.013
169/1/क/1	0.013
42/1/ख/1	0.003
44/1/ग/1	0.004
179/1/ख/1	0.014
42/1/ख/2	0.003
44/1/ग/2	0.004
179/1/ख/2	0.014
42/1/ख/3	0.003
44/1/ग/3	0.005
179/1/ख/3	0.014
39/3/छ	0.007
132	0.032
137/1	0.050
170/3/क	0.010
64/1/क	0.117
195/1	0.051
170/7	0.014
224/1	0.004
131/2	0.058
61/1/ख	0.030
195/3	0.039
169/1/ग/1	0.006
169/1/ग/6	0.006
169/1/ग/5	0.006
169/1/ग/3	0.004
169/1/ग/4	0.006
169/1/ग/2	0.008
44/1/क	0.007
42/1/क	0.020
44/1/ज	0.011
170/3/ख	0.004
170/3/ग	0.003
172/1/क	0.006
244/3/ठ	0.002
170/1	0.062
170/4	0.010
170/5	0.008
172/1/ख/4	0.006
172/1/ख/6	0.008
172/1/ख/1	0.008
172/1/ख/5	0.011
40/1/क	0.011
40/3/क	0.026
40/1/ग	0.021
40/3/ख	0.018
39/1/2/ख/2	0.015
61/3	0.016
40/1/घ	0.016
39/3/च/2	0.015
39/3/च/3	0.015
65/1/ङ	0.012
179/1/ग	0.034
39/3/च/1	0.010
172/1/ख/3	0.004
244/4/ख	0.004
244/4/ङ	0.004
170/6	0.011
131/1	0.049
41/1	0.003
65/1/ग	0.023
69/2	0.036
65/1/घ	0.012
43/3/ख	0.003
42/1/ख/4	0.003
44/1/ग/4	0.005
179/1/ख/4	0.014
39/1/2/ख/1	0.010

	(1)	(2)
	180/4	0.036
	187/3	0.014
	187/1	0.004
	172/1/ख/2	0.019
	66/1/ग	0.012
	183/1, 184/1	0.012
	187/2	0.016
	39/1/2/ङ	0.070
	39/1/2/ग	0.010
	41/3	0.003
योग	83	1.348

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है–धरमजयगढ़ से कापू मार्ग के चौड़ीकरण, उन्नयन एवं पुनर्निर्माण कार्य हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), धरमजयगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 17 जनवरी 2023

भू–अर्जन प्रकरण क्रमांक 13/अ–82/2021–22.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम, 2013 कहा जायेगा) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन–
- (क) जिला–रायगढ़
- (ख) तहसील–धरमजयगढ़
- (ग) नगर/ग्राम–नकना
- (घ) लगभग क्षेत्रफल–1.473 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
372	0.121
324/18	0.006
357/1	0.006
357/3	0.040
362/6	0.009
357/4	0.045
362/1	0.015
359/1	0.127
360/1	0.093
361/1	0.011
318/2	0.006
318/3	0.003
138/1	0.024
275/1	0.032
317/1	0.015
137/1	0.009
339/1	0.016
324/1/घ	0.022
139/2/क	0.006
140/2/क	0.024
324/24	0.006
324/23	0.006
324/1/ङ	0.007
324/22	0.008
135/1	0.009
143/1	0.011
144/1	0.006
322/3/ग	0.070
322/9/क	0.030
324/4	0.005
322/1/ख	0.435
310/2	0.030
310/4	0.160
134/1	0.024
134/4	0.007
142/1	0.017
142/3	0.012
योग 37	1.473

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है–धरमजयगढ़ से कापू मार्ग के चौड़ीकरण, उन्नयन एवं पुनर्निर्माण कार्य हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), धरमजयगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 17 जनवरी 2023

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 15/अ-82/2021-22.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम, 2013 कहा जायेगा) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-रायगढ़
- (ख) तहसील-धरमजयगढ़
- (ग) नगर/ग्राम-बाकारूमा
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.070 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	214/1	0.008
	62/1	0.004
	216/1	0.006
	245/1/क	0.014
	245/3	0.012
	476/2	0.004
	241	0.012
	275/1	0.010
योग	08	0.070

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-बाकारूमा से लैलूंगा मार्ग का उन्नयन एवं पुनर्निर्माण कार्य हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), धरमजयगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रानू साहू, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला बलरामपुर-रामानुजगंज, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग

बलरामपुर-रामानुजगंज, दिनांक 5 दिसम्बर 2022

क्रमांक/8902/अ-82/भू-अर्जन/2022.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम, 2013 कहा जायेगा) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-बलरामपुर-रामानुजगंज
- (ख) तहसील-वाड्रफनगर
- (ग) नगर/ग्राम-मानपुर
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-1.97 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
4/1	0.02
5	0.16
90	0.05
7	0.14
9	0.10
11	0.04
12	0.16
63	0.09
13	0.06
14	0.42
20	0.24
24	0.11
25	0.04
61	0.01
6	0.13

	(1)	(2)
	58	0.07
	54/2	0.13
योग	17	1.97

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-कुकझरिया व्यपवर्तन योजना के नहर निर्माण के अंतर्गत ग्राम मानपुर हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), वाड्रफनगर के कार्यालय में किया जा सकता है.

बलरामपुर-रामानुजगंज, दिनांक 5 दिसम्बर 2022

क्रमांक/8902/अ-82/भू-अर्जन/2022.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम, 2013 कहा जायेगा) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-बलरामपुर-रामानुजगंज
- (ख) तहसील-वाड्रफनगर
- (ग) नगर/ग्राम-कोटराही
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-9.02 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
1764	0.35
1815	0.63
1814	0.68
1821/1	0.76
1823	1.63
1824	0.39
1791	0.92
1804	0.02
1805	0.24
1809	0.30
1808	0.33
1811	0.36
1790/1	0.16
1787	0.28
1792/2	0.42
1793	0.22
1795	0.38
1767	0.28
1763	0.34
1790/2	0.16
1790/3	0.17
योग 21	9.02

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-कोटराही जलाशय योजना के शीर्ष निर्माण के अंतर्गत ग्राम कोटराही हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), वाड्रफनगर के कार्यालय में किया जा सकता है.

बलरामपुर-रामानुजगंज, दिनांक 5 दिसम्बर 2022

क्रमांक/8904/अ-82/भू-अर्जन/2022.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम, 2013 कहा जायेगा) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-बलरामपुर-रामानुजगंज
- (ख) तहसील-वाड्रफनगर
- (ग) नगर/ग्राम-गिरवानी
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-17.29 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
1476	0.07
1477	0.18
1478	0.15

(1)	(2)
1484	0.34
1526	0.55
1499	0.43
1501	0.38
1502	0.20
1503	0.41
1527	0.55
1533	0.44
1510	0.48
1522	0.57
1524	0.59
1475	0.01
1479	0.04
1480	0.39
1483	0.13
1523/2	0.07
1530/2	0.21
1531/1	0.29
1534/1	0.25
1535/1	0.17
1515	0.25
1416	0.09
1512	0.47
1513	1.14
1460	0.02
1463	0.01
1473	0.08
1485	0.17
1494	0.52
1466	0.02
1469	0.02
1467	0.27
1465	0.05
1462	0.18
1471	0.02
1472	0.11
1486	0.27
1496	0.51
1468	0.17
1520	0.22
1519	0.24
1529	0.31
1539	0.77
1474	0.02
1481	0.36
1487	0.15
1521	0.22
1417	0.07
1419	0.11
1523/1	0.08
1525	0.24
1528	0.16
1530/1	0.21
1531/2	0.20
1534/2	0.20
1535/2	0.28
1461	0.39
1508	0.58
1554	0.07
1442	0.22
1421	0.36
1381	0.15
1380	0.14
1370	0.08
1352	0.01
1354	0.05
1353	0.08
1359	0.05
योग 71	17.29

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-गिरवानी जलाशय योजना के शीर्ष एवं नहर निर्माण के अंतर्गत ग्राम गिरवानी हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), वाड्रफनगर के कार्यालय में किया जा सकता है.

बलरामपुर-रामानुजगंज, दिनांक 10 जनवरी 2023

क्रमांक/94/अ-82/2021-22.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम, 2013 कहा जायेगा) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन–

(क) जिला–बलरामपुर–रामानुजगंज

(ख) तहसील–रामचन्द्रपुर

(ग) नगर/ग्राम–त्रिशुली

अनुसूची

भूमि का विवरण			हितग्राही का नाम	पिता/पति/माता का नाम
जिला	तहसील	ग्राम/ प.ह.न.		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
बलरामपुर–रामानुजगंज	रामचन्द्रपुर	झारा	श्री बालचंद	स्व. सुखदेव
--,,--	--,,--	--,,--	श्री रामाशंकर	श्रीमती कलावती
--,,--	--,,--	--,,--	श्री रामकेश्वर	श्री शंकर पण्डो
--,,--	--,,--	--,,--	श्री अकलू पण्डो	स्व. विक्रम पण्डो
--,,--	--,,--	--,,--	श्री पिन्टु पण्डो	श्री अकलू पण्डो
--,,--	--,,--	--,,--	श्री रिम्पू पण्डो	श्री अकलू पण्डो
--,,--	--,,--	--,,--	श्री जगदेव सिंह	स्व. समारू सिंह
--,,--	--,,--	--,,--	श्री रामनरेश	श्री जगदेव सिंह
--,,--	--,,--	--,,--	श्री अजय	श्री जगदेव सिंह
--,,--	--,,--	--,,--	श्री प्रेम सिंह	श्री जगदेव सिंह
--,,--	--,,--	--,,--	श्री हरि प्रसाद	श्री जगदेव सिंह
--,,--	--,,--	--,,--	श्री लालजीत पण्डो	श्री लोचन
--,,--	--,,--	--,,--	श्री भृगु पण्डो	श्री रामलोचन
--,,--	--,,--	--,,--	श्री रामदास	श्री शिवलाल पनिका
--,,--	--,,--	--,,--	श्री रामचन्द्र पनिका	श्री हरिहर पनिका
--,,--	--,,--	--,,--	श्री सरजू पनिका	श्री कैलेश्वर पनिका
--,,--	--,,--	--,,--	श्री लालमन पनिका	श्री शिवलाल पनिका
--,,--	--,,--	--,,--	श्रीमती उर्मिला देवी	श्री कामेश्वर प्रसाद
--,,--	--,,--	--,,--	श्रीमती सुधा रानी	श्री जगदीशवर प्रसाद
--,,--	--,,--	--,,--	श्रीमती सुनिता देवी	श्री राजेन्द्र प्रसाद
--,,--	--,,--	--,,--	श्री अंकूर जायसवाल	श्री रमेशचन्द्र जायसवाल
--,,--	--,,--	--,,--	श्रीमती सुचिता जायसवाल	श्री अंकित जायसवाल
--,,--	--,,--	--,,--	श्रीमती किरण देवी	श्री सोनबच्चा जायसवाल
--,,--	--,,--	--,,--	श्रीमती शलनी देवी	श्री रविन्द्र कुमार जायसवाल
--,,--	--,,--	--,,--	श्री सुनील कुमार	श्री विजय कुमार जायसवाल
--,,--	--,,--	--,,--	श्री प्रदीप कुमार जायसवाल	श्री जयकुमार जायसवाल
--,,--	--,,--	--,,--	श्रीमती सुप्रिया जायसवाल	श्री देवेन्द्र जायसवाल
--,,--	--,,--	--,,--	श्रीमती रेखा रानी जायसवाल	श्री रमेश चन्द्र जायसवाल

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
--,,--	--,,--	--,,--	श्रीमती अर्चना जायसवाल	श्री निरंजन जायसवाल
--,,--	--,,--	--,,--	श्री दीरगज दयाल जायसवाल	श्री खुशी जायसवाल
--,,--	--,,--	त्रिशुली	श्री रामकुमार जायसवाल	श्री हीरा प्रसाद जायसवाल
--,,--	--,,--	त्रिशुली	श्री शिवकुमार जायसवाल	श्री हीरा प्रसाद जायसवाल
	कुल विस्थापित परिवारों की संख्या		**32**	

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-कन्हर अंतर्राज्यीय सिंचाई परियोजना अमवार जिला सोनभद्र (उ.प्र.) से छ.ग. राज्य के डूब क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले कृषकों का पूर्नवासन और पुनर्व्यवस्थापन पैकेज का लाभ देने हेतु छ.ग. राज्य की भूमि ग्राम-त्रिशुली हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), रामानुजगंज के कार्यालय में किसी भी कार्य दिवस को कार्यालयन समय के दौरान किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
विजय दयाराम के., कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

विभाग प्रमुखों के आदेश

कार्यालय कलेक्टर, जिला-दुर्ग (छ.ग.)

दुर्ग, दिनांक 5 जनवरी 2023

क्रमांक/159/वि.लि.प्र./2023.—सामान्य पुस्तक परिपत्र भाग-2 के अनुक्रमांक-4 के नियम-8 के एवं छ.ग. शासन, सामान्य प्रशासन विभाग अधिसूचना क्रमांक एफ-3-2/1999/1/4 दिनांक 30-03-1999 के तहत दुर्ग जिले हेतु कैलेण्डर वर्ष 2023 के लिए निम्नानुसार स्थानीय अवकाश घोषित किया जाता है :—

क्रमांक (1)	अवकाश का विवरण (2)	दिन (3)	दिनांक (4)
1.	गणेश चतुर्थी	मंगलवार	19-09-2023
2.	दशहरा (महानवमी)	सोमवार	23-10-2023
3.	दीपावली का दूसरा दिन (गोवर्धन पूजा)	सोमवार	13-11-2023

यह अवकाश कोषालय/उप कोषालय एवं बैंकों के लिए लागू नहीं होगा.

हस्ता./-
डिप्टी कलेक्टर.

उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं

HIGH COURT OF CHHATTISGARH, BILASPUR

No. 13976/Rules/2022 Bilaspur, the 17th November 2022

PART-I

PRELIMINARY

1. **Short Title :** These Rules shall be called the Chhattisgarh High Court (Public Interest Litigation) Rules, 2022.

2. **Commencement :** These Rules shall come into force from the date of its publication in the Official Gazette.

3. **Definition :** In these rules, unless the context otherwise requires;

(a) "High Court" means the High Court of Chhattisgarh.

(b) "Letter Petition" means an informal written communication, addressed to the High Court or Hon'ble the Chief Justice or any Hon'ble Judge of the High Court.

(c) "Public Interest Litigation" means a writ petition under Article 226 of the Constitution of India, instituted pro bona publico for enforcement of public interest or general interest as distinguished from individual interest, in which the public or a class of a community have some interest by which their legal rights or liabilities are affected and also includes a legal action initiated by the Court for the purpose aforesaid or a letter petition which may be enteretained as Public Interest Litigation under these Rules.

(d) "Public Interest Litigation Cell" means a cell created by the Chief Justice for processing Letter Petitions to be placed before the Public Interest Litigation Committee.

(e) "Public Interest Litigation Committee" means the Committee consisting of two sitting judges nominated by the Chief Justice.

(f) "State" means the State as defined under Article 12 of the Constitution of India.

(g) "Deputy Registrar" means an officer appointed by the Chief Justice to the post of Deputy Registrar under the High Court of Chhattisgarh Rules, 2007.

(h) "Organization" shall include the Chhattisgarh State Legal Services Authority, non-Governmental Organization, registered trust, registered society or Association of Persons-registered or otherwise but shall not include individual person or persons agitating any cause before the Court in their personal capacity.

PART-II

LETTER PETITION

4. **Public Interest Litigation Cell :** The Chief Justice shall by an order consitute a Public Interest Litigation Cell which will be headed by an officer not below the rank of Deputy Registrar.

5. **Duty of the Public Interest Litigation Cell :** Letter Petition shall be processed by the Public Interest Litigation Cell for being placed before the Public Interest Litigation Committee.

6. **Public Interest Litigation Committee :** The Chief Justice shall by an order constitute a Committee, consisting of two Sitting Judges of the High Court as Members.

7. **Public Interest Litigation Bench :** Without prejudice to the powers of the Chief Justice to mark any matter to any Bench for hearing. the Chief Justice shall constitute a Public Interest Litigation Bench which, subject to any directions to the contrary, shall hear all matters of Public Interest Litigation.

8. No correspondence shall be entertained in respect of any letter petition.

9. Ordinarily, no letter petition espousing individual/personal cause shall be entertained as a writ petition filed in public interest except as hereinafter indicated—

(1) matters pertaining to bonded labourers;

(2) matters pertaining to neglected children;

(3) Petitions from jails—
- (a) complaining of harassment;
- (b) for pre-mature release;
- (c) for release on probation;
- (d) seeking release after having completed 14 years in jail;
- (e) in respect of death in prison;
- (f) seeking transfer of a prisoner from one jail to another;
- (g) praying for release on personal bond; and
- (h) seeking speedy trial as a fundamental right;

(4) Prtitions against police—
- (a) complaining harassment/atrocities by police; and
- (b) in respect of death in police custody.

(5) Petitions against atrocities on women, in particular harassment of bride, bride burning, rape, murder, kidnapping, child marriage etc.

(6) Petitions complaining of harassment or torture of or atrocities upon members of Scheduled Castes or Schedule Tribes by persons belonging to upper class or police;

(7) Petitions for preservation and maintenance of heritage, culture or antiques;

(8) Petitions for conservation of forest and wild life;

(9) Petitions by riot-victims;

(10) Petitions for Family Pension.

10. Ordinarily, letter petitions falling under the following categories shall not be registered as writ petition or revision:

(1) landlord-tenant matters;

(2) service matters including those pertaining to retiral benefits; and

(3) the following matters —
- (a) complaints against central/state government departments/officers; Government Departments and Local Bodies except those relating to Item Nos. (1) to (10) of the Rule 9 of this Rules.
- (b) matters relating to admission to educational courses;
- (c) petitions for early hearing of cases pending in High Courts and subordinate Courts;
- (d) petitions alleging civil contempt of court;

(e) petitions seeking relief for which a main case other than a writ petition under Article 226 of the Constitution of India or a revision is maintainable;
(f) a petition seeking transfer of a case from a Bench to the Principal seat of the High Court or from one subordinate Court to another;
(g) Personal disputes between individuals,
(h) Disputes relating to contractual or statutory liabilities,
(i) Matrimonial disputes.

11. Processing, screening and listing of Letter Petitions as Public Interest Litigations before the Public Interest Litigation Committee:

(a) All Letter Petitions received in the Public Interest Litigations Cell, shall first be processed in the Public Interest Litigation Cell. However, neither any anonymous Letter Petition nor any such petition from which the identity of the Letter Petitioner cannot be established or ascertained shall be entertained.

(b) Public Interest Litigation Committee shall take such action, it may consider necessary, on the letter Potitions presented before it. If the Public Interest Litigation Committee is of the opinion that the letter petition does not possess any public interest, the Public Interest Litigation Committee shall report the same to Hon'ble the Chief Justice for further action.

(c) Once a Letter petition is approved by the Public Interest Litigation Committee to be entertained as a Public Interest Litigation Petition, the same shall be placed before the Public Interest Litigation Bench unless otherwise directed by the Chief Justice.

(d) The, Public Interest Litigation Cell, then shall prepare a gist of the Letter Petition and the points of public concern, raised in the Letter Petition, the replies, if any, received from the Government Departments/officials, who may be considered as the necessary or appropriate/proper parties for the decision of the petition and send it for listing.

PART-III

FILING OF PUBLIC INTEREST LITIGATIONS

12. **Modes of Entertaining of Public Interest Litigation :** A Public Interest Litigation may be initiated in any of the following ways:

(a) As a suo motu petition in pursuance of the orders of Hon'ble the Chief Justice;

(b) In pursuance of the order of Hon'ble the Chief Justice on a recommendation made by any Judge of the High Court;

(c) A letter petition may be directed to be treated as a public interest litigation petition by the recommendation of Public Interest Litigation Committee and on approval by Hon'ble the Chief Justice.

(d) On presentation of a petitition in the Court in the prescribed proforma in accordance with relevant Rules by;
(a) any citizen; or
(b) an Organization as defined in Rule 3(h).

13. **Instruction for filing Public Interest Litigations:**

(i) A writ petition intended to be a Public Interest Litigation shall contain:
(a) An inscription immediately below the number of the writ petition in the title, namely "In The Matter of A Public Interest Litigation".

(b) A specific averment, in para 1 of the writ petition, to the effect that the writ petitioner has no personal interest in the litigation and that the petition is not guided by self-gain or for gain of any other person/institution/body and that there is no motive other that of public interest in filing the writ petition.

(c) A specific averment, in para 2 of the writ petition, as to the source of knowledge of the facts alleged in the writ petition and the further inquiries/investigation made to determine the veracity of the same.

(d) A specific averment, in para 3 of the writ petition, specifying the class of persons for whose benefit the petition has been filed and as to how such persons are incapable of accessing the Court themselves.

(e) A specific averment, in para 4 of the writ petition, of the persons/bodies/institutions likely to be affected by the order(s), sought in the writ petition and which/who shall be impleaded as respondents and a further averment that to the knowledge of the petitioner, no other persons/bodies/institutions are likely to be affected by the orders sought in the writ petition.

(f) A specific averment, in para 5 of the writ petition of the background of the petitioner with qualifications so far as it may be material to show the competence of the petitioner to espouse the cause. If the petitioner is an orgainzation, the names and address of its office bearers and the nature of its activities shall also be stated. An averment shall also be made that the petitioner has the means to pay the costs, if any, imposed by the Court and on the undertaking to the Court in that respect.

(g) In para 6 of the writ petition, details of the representation(s) made to the authorities concerned for remedial actions and replies, if any, received thereto shall be set out precisely.

(h) If the petitioner has previously filed public interest litigation or preferred Letter Petitions, the details thereof would be set out in a tabular form giving the number of the writ petition, the status and outcome thereof.

(i) Pleadings in brief divided into paragraphs setting forth the cuase which has given rise to the filing of the writ petition shall be pleaded followed by the grounds in support of the prayer, followed by the prayer clause in the last paragraph giving the precise prayer which the petitioner wants to be granted by the Court.

Provided that if the petitioner is unable to provide information for any of the matters above, there shall be a specific averment as to the reason why said information is not being provided.

(j) Averments made in the petition shall be supported by an affidavit, verifying by solemn affirmation, by the petitioner, disclosing the statements which are true to his knowledge or true to his knowledge derived from information disclosing the source of information and true to his knowledge derived from record.

(ii) Every Public Interest Litigation shall be accompained by an affidavit as per proforma 'A' annexed to these Rules.

14. **Undertaking:**

(a) Petitioner shall undertake that in case Rule 12 are violated or found by the Court in the course of hearing to have been violated, he will bear and pay the amount of cost which may be imposed in the discretion of the Court.

(b) Petitioner shall specifically make a statement that he had made inquiries, approached appropriate authorities for necessary information and all efforts were made for redressal of the grievance made in the petition. He shall also state that after ascertaining the facts, the petitioner has filed the petition after exhausting all the alternative remedies available under law.

(c) Petitioner shall undertake to pay the costs and other expenses incurred by the respondent, if it is found that any respondent has been made a party abusing the process of the Court or if it is found by the court that the prayer is vague, unnecessary, illegal or mala fide.

(d) Petitioner shall undertake that in case he seeks to withdraw the petition or fails to attend the case by himself or through his advocate, he will bear the cost incurred by the respondent and pay such amount of cost as may be imposed in the discretion of the court.

15. **Declaration :** A writ petition filled in the nature of Public Interest Ligigation shall contain a statement/ declaration by the petitioner whether to his knowledge, issue raised was previously dealt with or decided by the High Court and whether a similar or identical petition was filed earlier by the petitioner or by any other person to his knowledge, and that he had taken all reasonable care to gather information before making such a statement. In case such an issue was dealt with or a similar or indentical petition was filed earlier, its status or the result thereof must be stated.

16. Notwithstanding anything contained in these rules, in the procedure for filing and entertaining any petition in the nature of Public Interest Litigation, the procedure provided in these Rules, shall not apply to cases where the High Court suo motu decides to treat any matter or issue as Public Interest Litigation.

PART-IV

17. **Insherent Power of the Court not affected :** Nothing in these Rules shall be deemed to limit or otherwise affect the inherent power of the Court to make such order (s) as may be necessary for the ends of justice or to prevent abuse of the process of the Court, including the power to impose exemplary costs and/or to debar a petitioner or an Advocate from filing Public Interest Litigation if found to be indulging in frivolous or motivated litigation.

18. **Scrutiny of public interest litigation matters by the office before registration :** All provisions of the High Court of Chhattisgarh Rules 2007, not inconsistent with these Rules, shall be applicable to the category of cases, filed/registered, under these Rules.

19. (a) The Court, while hearing a Public Interest Litigation petition, may in its discretion, order any sum of money to be deposited by the Petitioner and may also require any further affidavit or declaration to be filed by the Petitioner, as deemed necessary.

(b) If the Court finds that petition is vaxatious, motivated or not having public interest, then the amount so deposited shall be forfeited and this shall be in addition to the costs, if any which may be imposed by the Court.

PROFORMS 'A'

AFFIDAVIT

I ..... aged..... years, S/o .....

R/o ..... by profession do hereby solemnly affirm and declare as under.

1. That I am the petitioner above named OR I am ..... of the petitioner above named. The petitioner is a society/company having its registered office at ..... and I have vide resolution passed in the Meeting of the Board of Directors General Body/Executive Committee of the petitioner been authorised to institute and sign this petition.

2. In have filed the present petition as a Public Interest Litigation.

3. I have gone through the Chhattisgarh High Court (Public Interest Litigation) Rules, 2022 and do hereby affirm that the present Public Interest Litigation is in conformily thereof.

4. I/Petitioner have/has no personal interest in the litigation and netiher myself nor anybody in whom I am/ petitioner is interested would in any manner benefit from the relief sought in the present litigation save as a member of the General Public. This petition is not guided by self-gain or gain of any person, institution, body and there is no motive other than of public interest in filing this petition.

5. I have done whatsoever inquiry/investigation which was in my power to do, to collect all data/materials which were available and which were relevant for this court to entertain the present petition.

6. I further confirm that I have not concealed in the present petition any data/material/information which may have enabled this court to form an opinion whether to entertain this petition or not and/or whether to grant any relief or not.

By order of Hon'ble the High Court,
ARVIND KUMAR VERMA, Registrar General.